



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022020-216416
CG-DL-E-26022020-216416

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771]
No. 771]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941

okf.kT; , oam | kx ea=ky;

%okf.kT; foHkx½

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

का.आ. 844(अ).—यतः, मै. ऑरम प्लाट्ज आईटी प्रा. लि. (पूर्व मै. लोमा आई.टी. पार्क डवलपर्स लिमिटेड), ने महाराष्ट्र राज्य के प्लॉट जी. 4/1, टी.टी.सी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम. घंसोली, नवी मुंबई में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्र हेतु एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 1218(अ) दिनांक 15 मार्च, 2016 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 6.5 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. ऑरम प्लाट्ज आईटी प्रा. लि. ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 0.6481 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र सं. एसईजेड. 2014/सीआर.171/आईएनडी. 2 दिनांक 21.01.2020 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, सीपज, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 0.6481 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.6481 gDVs j ds {ks= dks vuf/kl fpr djrh g जिसके ifjek.kr% dly {ks=Qy 5-8519 gDVs j हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

vuf/kl fpr {ks= grq rkfydk

Øe-l a	xkpo dk uke	l o{k.k. k Lka[; k	dqy {k=Qy (हेक्टेयर में)
1.	घंसोली	600 भाग	0.2144
2.		601 भाग	0.0830
3.		612 भाग	0.2672
4.		613 भाग	0.0805
5.		614 भाग	0.0030
dqy			0.6481
mi ; Ør ?kVko ds lk' pkr~, l bztM dk dqy {k=Qy			5.8519

[फा. सं. एफ.1/1/2016-एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2020

S.O. 844(E).—Whereas, M/s. Aurum Platz IT Pvt. Ltd. (formerly M/s. Loma IT Park Developers Pvt. Ltd.) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Plot G-4/1, TTC Industrial Area, Village-Ghansoli, Navi Mumbai in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 6.5 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Number S.O. 1218(E) dated 15th March, 2016;

AND, WHEREAS, M/s. Aurum Platz IT Pvt. Ltd. has now proposed for de-notification of 0.6481 hectare from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its approval to the proposal vide letter No. SEZ-2014/CR-171/Ind-2 dated 21st January, 2020;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ, SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.6481 hectare of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 0.6481 hectare**, thereby making the **resultant area as 5.8519 hectares**, comprising the Survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in Hectares)
1.	Ghansoli	600 Pt.	0.2144
2.		601 Pt.	0.0830
3.		612 Pt.	0.2672
4.		613 Pt.	0.0805
5.		614 Pt.	0.0030
Total			0.6481
Grand Total Area of SEZ after above deletion			5.8519

[F. No. F.1/1/2016-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.